


## XXXIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रेस्टो. 1374-II/15

जिला- लहना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-7-15	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्कों पर विचार किया । अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुर्नस्थापित किया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो ।</p>	<p>( एम.के.सिंह ) सदस्य</p>



## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

विविध प्रकरण क्र. / 2015

वेस्टा 1374-II-15

श्री. मन्ना गांगुल - एडवोकेट  
द्वारा आज दिनांक 15/3/15 को  
प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

चन्द्रिका प्रसाद तनय रामफल ब्रा.

निवासी ग्राम अरगट तहसील रामनगर जिला  
सतना (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

1. अंगिरा प्रसाद तनय श्रीपति मिश्रा
  2. शेष नारायण मिश्रा तनय श्रीपति मिश्रा
- दोनों निवासी ग्राम अरगट तहसील रामनगर  
जिला सतना (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

म.प्र. मू. राजस्व संहिता, 1959 की धारा 9 के अंतर्गत निर्मित  
नियमों के नियम 32 के अधीन आवेदन पत्र ।

माननीय महोदय,

आवेदक का आवेदन निम्नानुसार निवेदन है कि -

- 1- यह कि, आवेदक का प्रकरण क्रमांक 1483-IV/08 निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 27-3-15 को नियत था।
- 2- यह कि, नियत दिनांक 27-3-15 को आवेदक के अधिवक्ता अभिभाषक संघ के निर्णय के अनुसार सामूहिक रूप से कार्य से विरत थे। आवेदक अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त था इस कारण आवेदक नियत दिनांक 27-3-15 को उपस्थित नहीं हो सका और प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया जिसकी जानकारी आवेदक के अधिवक्ता को मई में खारिज प्रकरणों की सूची